अंडर-ट्रायल रिव्यू कमिटी और आप

क्या है अंडर-ट्रायल रिव्यू कमिटी?

अंडर-ट्रायल रिव्यू कमिटी एक ज़िला स्तरीय समिति है जिस का गठन अप्रैल 2015 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अंतर्गत, बंदियों के मामलों पर विचार करने के लिए किया गया। यह कमिटी, कम से कम तीन माह में एक बार, उपरोक्त मामलों पर विचार करती है। उपरोक्त मामलों पर विचार करने के पश्चात यह कमिटी प्रत्येक मामले में सम्बंधित न्यायालय को उचित सिफ़ारिश करती है जिसमें न्यायालय द्वारा ज़मानत पर रिहाई की सिफारिश भी शामिल है।

इस कमिटी के सदस्य कौन हैं?

यह पांच सदस्यीय कमिटी है जिस के अध्यक्ष ज़िले के सब से वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी होते हैं। इसके सदस्यगण इस प्रकार हैं:

- ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश – अध्यक्ष
- ज़िला मजिस्ट्रेट – सदस्य
- सचिव, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण - सदस्य
- पुलिस अधीक्षक - सदस्य
- ज़िले की सभी जेलों के प्रभारी अधिकारी - सदस्य

इस कमिटी की कार्य शैली किस प्रकार है?

1. **तैयारी:** जेल अधीक्षक सभी विचाराधीन एवम दोष सिद्ध बंदियों की सूची ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को भेजते हैं जो दाईं ओर दी गयी योग्यता के अनुसार बंदियों के उपरोक्त मामलों की सूची तैयार करते हैं।
2. **बैठक:** ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं जिसमें सभी सदस्य मिलकर उपरोक्त मामलों पर विचार करते हैं और प्रत्येक योग्य बंदी के मामले में उचित सिफ़ारिश देते हैं।
3. **सिफारिशें और कार्यवाही:** कमिटी द्वारा तय की गयी सभी सिफारिशों का लिखित विवरण सभी सदस्यों को भेजा जाता है। प्रत्येक मामले में दी गयी सिफ़ारिश को सबंधित न्यायलय को उचित निर्णय हेतु भेजा जाता है।
4. **सिफारिशों का पालन:** कमिटी को अपनी आगामी बैठकों में पिछली बैठकों में दी गयी सिफारिश पर लिए गए निर्णय की समीक्षा करनी होती है और प्रत्येक मामले की स्थिति का विवरण दर्ज करना होता है।

यदि आपके मामले पर कमिटी द्वारा विचार किया गया है तो क्या इस का मतलब यह है कि आपको रिहा किया जायेगा?

नहीं, कमिटी द्वारा आपके मामले पर विचार किये जाने या सिफारिश करने का मतलब यह नहीं है कि आपको रिहा किया जायेगा। कमिटी आपके मामले में विचार करने के बाद कोई सिफारिश न करने का निर्णय भी ले सकती है। इसके लिए आपके वकील को न्यायलय में उचित आवेदन देना पड़ सकता है। अपने मामले की स्थिति, उस में दी गयी सिफारिश या उसकी स्थिति या सिफारिश न देने की वजह, इत्यादि जानने के लिए आप किसी जेल अधिकारी या जेल विधिक सहायता अधिवक्ता या पैरा-लीगल वालंटियर की सहायता ले सकते हैं।

यदि आप के मामले पर कमिटी द्वारा एक बार विचार किया गया है तो क्या उसपर कमिटी दुबारा विचार कर सकती है?

हाँ, कमिटी आपके मामले पर एक बार से अधिक विचार कर सकती है। यदि कमिटी ने आपके मामले में कोई सिफारिश नहीं की या फिर कमिटी द्वारा की गयी सिफारिश को न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया तो कमिटी ऐसे मामले में फिर से विचार कर सकती है बशर्ते आप का मामला उपरोक्त मामलों में से किसी एक के अधीन हो।

क्या यह कमिटी दोष सिद्ध बंदियों के मामलों पर भी विचार करती है?

हाँ, यदि आप एक दोष सिद्ध बंदी हैं और –
i) आपकी सज़ा का समय पूरा हो चुका है, या
ii) रेमिशन के आधार पर आप रिहा किये जाने योग्य हैं
तो कमिटी आपके मामले पर विचार करेगी। ऐसे मामले में कमिटी आपको अभी तक रिहा न किये जाने का कारण निश्चित करेगी और आपकी रिहाई सुनिश्चित करने हेतु उचित सिफारिश करेगी।

आप किस से पूछ सकते हैं की आप का मामला कमिटी द्वारा विचारयोग्य है या नहीं?

किसी भी शंका या सवाल के लिए आप अपने वकील से बात करते कर सकते हैं या अपने परिवार के किसी सदस्य को आपके वकील से संपर्क करने के लिए आग्रह कर सकते हैं। इस के लिए आप जेल विधिक सेवा क्लिनिक पर नियुक्त जेल विधिक सहायता अधिवक्ता या पैरा-लीगल वालंटियर से भी बात कर सकते हैं।

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative
working for the *practical* realisation of human rights in the Commonwealth

Commonwealth Human Rights Initiative
3rd Floor, 55A, Siddhartha Chambers, Kalu Sarai, New Delhi - 110 016
Tel: + 91-11-43180200, +91-11-43180221 (Direct) Fax: +91-11-43180217
Email: info@humanrightsintiative.org. Website: www.humanrightsinitiative.org

यदि आप एक विचारा धीन बंदी हैं और:

- आप ऐसे अपराध के आरोपी हैं जिस की सज़ा की अधिकतम अवधि दो साल से कम है; या
- आप की उम्र 19 से 21 वर्ष के बीच है और आप ऐसे अपराध के आरोपी हैं जिस की अधिकतम सज़ा सात साल से कम है जिस में कि आपने कम से कम एक चौथाई (1/4th) अवधि पूरी करली है ; या
- आप ऐसे अपराध के आरोपी हैं जो परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 3 के अंतर्गत आता हो, यानी चोरी या जालसाज़ी (भारतीय दंड सहिंता की उपयुक्त धारा 379, 380, 381, 404, 420) या ऐसा अपराध जिस में अधिकतम सज़ा दो साल तक की होती है; या
  (परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 3 का लाभ सिर्फ़ ऐसे विचाराधीन बंदियों को ही मिल सकता है जिन्हें पहले किसी अपराध के लिए दोशी न पाया गया हो)
- आप ऐसे अपराध के आरोपी हैं जिसकी अधिकतम सज़ा 10 साल से कम है और आप जेल में 60 या उस से अधिक दिन पूरे कर चुके हैं और आपके केस में पुलिस ने अभी तक जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दायर नहीं किया है; या
- आप ऐसे अपराध के आरोपी हैं जिस में अधिकतम सज़ा 10 साल या उस से ज़्यादा है और आप जेल में 90 या उस से अधिक दिन पूरे कर चुके हैं और आपके केस में पुलिस ने अभी तक जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दायर नहीं किया है; या
- आप नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट (एन.डी.पी.एस), 1985 के अंतर्गत व्यावसायिक मात्रा रखने के अपराध के आरोपी हैं और आप जेल में 180 या उस से अधिक दिन पूरे कर चुके हैं और आपके केस में पुलिस ने अभी तक जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दायर नहीं किया है; या
- आप ऐसे अपराध के आरोपी हैं जिसकी सज़ा मृत्यूदंड नहीं है और आप इस अपराध की अधिकतम सज़ा की कम से कम आधी अवधि पूरी कर चुके हैं ; या
- आप एक ज़मानती अपराध के आरोपी हैं और आप जेल में 7 से अधिक दिन बिता चुके हैं; या
  (ज़मानती अपराध के आरोपी को ज़मानत पर रिहा होने का अधिकार है)
- आप ऐसे ग़ैर ज़मानती अपराध के आरोपी हैं जिसका मुक़दमा एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है और आप का मुकदमा सबूत दायर होने की पहली तिथिके 60 दिन में पूरा नहीं हुआ है; या
  (आम तौर पर मजिस्ट्रेट न्यायालय में ऐसे मुक़दमे आते हैं जिन में अधिकतम सज़ा तीन साल से कम होती है)
- आप ऐसे अपराध के आरोपी हैं जो कानून में शमनीय है; या
  (आम तौर पर शमनीय अपराध कम गंभीर अपराध होते हैं जिनमें अधिकतम सज़ा दो साल से कम होती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में शमनीय (कम्पाउंडेबल) अपराध की सूची दी गयी है)
- आप बिमार या कमज़ोर हैं और आपको विशेष मेडिकल उपचार की आवश्यकता है; या
- आप मानसिक रूप से विकृत या बीमार हैं ; या
- आपको कोर्ट के द्वारा ज़मानत मिल चुकी है पर आप ज़मानत राशि या ज़मानतदार उपलब्ध करने में असमर्थ हैं ; या
- आपको दण्ड-प्रक्रिया-संहिता की धारा 107, 109 या 151 के अंतर्गत हिरासत में लिया गया है; या
- आप एक महिला हैं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में "अपराध का वर्गीकरण" नामक शीर्षक के अंतर्गत सूची में प्रत्येक अपराध का ज़मानती या ग़ैर ज़मानती होना, उस में दी जा सकने वाली अधिकतम सज़ा, मुक़दमे का उपयुक्त न्यायालय आदि की जानकारी दी गयी है। आप जेल विधिक सेवा क्लिनिक पर नियुक्त जेल विधिक सहायता अधिवक्ता या पैरा-लीगल वालंटियर से भी जान सकते हैं की आपका मामला अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटी के द्वारा विचार किये जाने का पात्र है या नहीं।

तो आपका केस ज़िले की अंडर-ट्रायल रिव्यू कमिटी द्वारा विचार के लिए पात्र होगा